

प्रतीक
प्ररूप क
(खण्ड 4 देखिए)

व्यवहारी की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रारूप।

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,

.....(स्थान)
राज्य, संघ राज्य क्षेत्र।

1. आवेदक का पुरा नाम और पता -

(क) नाम और डाक पता -

(ख) कारबार का स्थान (कृपया सही पता दें)

(1). विक्रय के लिये

(2). भंडारकरण के लिये

2. क्या वह स्वत्वधारी भागीदारी लिमिटेड कम्पनी, हिन्दू अमिमवत कुटुम्ब है स्वत्वधारी, भागीदारी, प्रबंधक कर्ता का नाम और पता दें

3. यह आवेदन किस हेतियत में किया गया है:-

(1). स्वत्वधारी -

(2). भागीदारी -

(3). प्रबंधक -

(4). कर्ता -

4. क्या आवेदक को पहले कभी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के अधीन या उसके अधीन जारी किये गये किसी आदेश के अधीन आवेदन की तारीख से पहले, पिछले तीन वर्षों के दौरान, दोष - सिद्ध किया गया है, यदि हाँ तो व्योरा दें।

5. उन बीजों का व्योरा दें जिनके बारे में कारबार किया जाता है।

क्रम सं०	बीज का नाम
----------	------------

6. मैंने हमने चालान संख्या.....तारीख.....द्वारा 50 रुपये का अनुज्ञप्ति फीस खजाना.....मे जमा कर दी है।

7. घोषणा :

(क). मैं, हम घोषित करता हूँ, करते हैं कि उपर दी गई जानकारी मेरे, हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और इसमें कोई जानकारी मिथ्या नहीं है।

(ख). मैंने अपने बीज (नियंत्रण 1983 के प्ररूप) की सारी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया हूँ एवं उसका पालन करने के लिये सहमत हूँ।

तारीख.....
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर

टिप्पण : (1). जहाँ बीज के विक्रय, निर्यात, आयात का कारबार एक से अधिक स्थानों पर चलाये जाने के लिये है, वहाँ ऐसे प्रत्येक स्थान के लिये पृथक अभिप्राप्ति का होना चाहिए।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय में प्रयोग के लिये

दि की तारीख

आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम
और पदनाम।

भारत का राजपत्र : असाधारण
प्रतिक "ख"

(खण्ड 5 देखिए)

बीजों के व्यवहारी की कारबार करने की अनुज्ञप्ति ।

अनुज्ञप्ति संख्या..... तारीख.....

1. बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के उपबंध और इस अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अधीन श्री/श्रीमति.....को बीजों के उक्त प्रयोजन के लिये विक्रय, निर्यात, आयात और भंडारकरण करने की अनुज्ञप्ति दी जाती है।

2. अनुज्ञप्तिधारी.....में (भंडारकरण के स्थान और विक्रय का स्थान)
.....(तहसिल या जिला) में उपरोक्त कारबार करेगा।

तारीख -

अनुज्ञापन प्राधिकारी

मोहर

राज्य

अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें

- (1). अनुज्ञप्ति कारबार परिसरों के किसी भाग में किसी प्रमुख और सहजदृश्य स्थान पर जो आम जनता के लिये खुला रहेगा।
- (2). अनुज्ञप्ति धारक बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के और उसके अधीन जारी की गई तत्समय प्रवृत्त अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन करेगा।
- (3). यह अनुज्ञप्ति तुरंत प्रभावी होगी औरतक वैध होगी जब तक कि इसे पहले ही रद्द या निलंबित नहीं कर दिया जाता है।
- (4). अनुज्ञप्ति का धारक समय-समय पर अनुज्ञापन प्राधिकारी को ऐसी परिसरों में किसी परिवर्तन की रिपोर्ट देगा जहाँ बीजों के उक्त भंडारकरण का कारबार करता है।
- (5). अनुज्ञप्ति धारक बीजों के भंडारकरण, विक्रय, या निर्यात के लिये अपने द्वारा प्रयुक्त किसी दुकान, डिपो या गोदाम या अन्य स्थान/स्थानों में उसका स्टॉक का निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिये अनुज्ञापन अधिकारी या उसके प्राधिकारी के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य अधिकारी को हर सुविधा प्रदान करेगा।